भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1809

<u>दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

टीएमए योजना

1809. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए प्रति टीईयू (बीस फुट समतुल्य यूनिट) भुगतान की जा रही राशि भारतीय निर्यातकों द्वारा अब भुगतान की जा रही माल ढुलाई राशि की तुलना में बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार की विश्व स्तर पर भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात की सभी पात्र मदों तक टीएमए योजना का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार महामारी के दौरान भारतीय निर्यातकों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए टीएमए योजना को विनिर्दिष्ट दो वर्षों से आगे बढ़ाने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) योजना वाणिज्य विभाग की दिनांक 25 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या 17/2/2021 –ईपी (कृषि IV) के माध्यम से पहले ही बंद कर दी गई थी । इस समय, स्कीम के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

****